संख्या-86/2016/1928/सैंतीस-2-2016-1(68)/12टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-09 अगस्त, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-185/नि0/29(9)2016-17, दिनांक-04.05.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-10-जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि अर्जन/भूमि क्रय किये जाने के लिए रू0-1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप हो, इसका पर्यवेक्षण निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित अपर निदेशक ग्रेड-।।/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि मदों में कोई विचलन होता है या निर्धारित प्रयोजनों से इतर धनराशि का व्यय किया जाता है, तो उनका यह दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायें।
4. स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण-वितरण अधिकारी हो तो, संबंधित जनपद को आवंटित किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. उपर्युक्त स्वीकृति ही अकेले ऐसे किसी व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेश के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-10-जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू.ओ.-802/दस-2016, दिनांक-09.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>प0सं0-86/2016/1928(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी आजमगढ़।
4. अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
5. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
6. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in